अन्य (ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मौदगिल, जे. जे. के समक्ष

रजनीश बंसल और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी 2015 की

सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16863

09 सितंबर, 2022

पंजाब श्रेष्ट न्यायिक सेवा नियम**, 1963-विभिन्न सदनों से नियुक्त न्यायाधीशों के बीच वरिष्ठता का निर्धारण-विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के आधार पर सीधी भर्तियां/पदोन्नति/फास्ट ट्रैक अदालत के वरिष्ठता सह योग्यता/न्यायाधीशों के आधार पर पदोन्नति जो सेवा में शामिल किए गए हैं-फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों की वरिष्ठता-वे एक अलग श्रेणी बनाते हैं जिसके लिए बृज मोहन लाल मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर एक विशेष चयन प्रक्रिया की कल्पना की जाती है-यह केवल तब होता है जब वे शामिल होने के बाद कैडर का हिस्सा बन जाते हैं और खुद को सीधे भर्ती के कैडर के हिस्से के रूप में दावा करने का प्रयास कर सकते हैं-उन्हें पहले** वैधानिक स्रोत-वरिष्ठता **के लिए जल्दी पदोन्नति की श्रेणी में आने वाले पदोन्नत न्यायाधीशों की वरिष्ठता को समाप्त करना होता है। नियम 10 (iii) जहाँ यह उल्लेख किया गया है कि अन्य श्रेणियों तदर्थ अधिकारी के लिए निर्धारित रोस्टर बिंदु के विरुद्ध तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारी को पद का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही वह वरिष्ठता के उद्देश्य से ऐसी सेवा की अवधि को नियमित सेवा में जोड़ने का हकदार होगा।**

यह अभिनिर्धारित किया गया कि एकमात्र पहलू, जिस पर यहाँ प्रकाश डालने की आवश्यकता है, वह यह है कि नियम 6 के तहत सेवा में नियुक्त अधिकारियों की अंतर-वरिष्ठता की स्थिति संलग्न रोस्टर में दी गई होगी और यह भी कि नियम 6 के खंड (ए) (बी) और (सी) के तहत सेवा में भर्ती किया गया व्यक्ति वरिष्ठता सूची में अपना स्थान लेगा जैसा कि संलग्न रोस्टर में दिखाया गया है, चाहे वह वास्तव में सेवा में शामिल होने की तारीख कुछ भी हो।

(पैरा 39)

यह भी अभिनिर्धारित किया कि फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विद्वान अधिवक्ताों के प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों के ऊपर और उससे ऊपर पूर्व विचार और वरिष्ठता के उनके दावे के संबंध में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वैधानिक नियमों में प्रावधान नहीं है। नियुक्ति के स्रोत के रूप में 'अवशोषण' के लिए प्रावधान नहीं है। यह केवल बृज मोहन लाल के मामले-I और II में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर और उसके कारण है कि हरियाणा की उच्च न्यायिक सेवा में विलय के लिए फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के दावे पर पूर्ण न्यायालय द्वारा विचार और स्वीकार किया गया था। उनके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है

और लाभ रियायत के रूप में है जो उन्हें दिया गया है और वह भी बृज मोहन लाल के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग के आधार पर।

(पैरा 43)

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16863 में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत जिंदल, अधिवक्ता नवरूप जवांदा और अधिवक्ता संदीप बंसल और अधिवक्ता अनुभव बंसल।

कंवलजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिनव अग्रवाल, अधिवक्ता के साथ, 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16839 में याचिकाकर्ताओं की ओर से।

2015 के सी. डब्ल्यू. पी.-16863, सी. डब्ल्यू. पी.-24263-2016 और सी. डब्ल्यू. पी.-17939-2015 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 6 से 8,10 और 11 के लिए सी. डब्ल्यू. पी.-4986-2016 में याचिकाकर्ताओं के लिए पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, जे. एस. यादव, अधिवक्ता और निहित, अधिवक्ता के साथ।

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 17939 में याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील संकल्प सागर के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सलिल सागर।

ओ. पी. गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमर विवेक अग्रवाल, अधिवक्ता और पारुल अग्रवाल, और दीपिका सूद, अधिवक्ता और प्रीतिश गोयल, अधिवक्ता के साथ, 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 24263 में याचिकाकर्ताओं के लिए और 2015 के सी. डब्ल्यू. पी.-16863 में प्रतिवादी संख्या 18 और 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 14986 में प्रतिवादी संख्या 2 के लिए 2015 के सी. डब्ल्यू. पी.-17939 के लिए।

2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 24263 में याचिकाकर्ता संख्या 6,7 और 14 के लिए अमन पाल, अधिवक्ता

2016 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 24263 में याचिकाकर्ता संख्या 13 से 15 के लिए अधिवक्ता मुनीश बहल और आरुष नीरज वैद के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित गोयल, सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16863 और 2015 के 17,939 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 16,20 और 31 के लिए, 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16839 और 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 14986 में प्रतिवादी संख्या 11 के लिए,

रजनी गुप्ता, एडिशनल ए. जी. राज्य हरियाणा की ओर से।

प्रतिवादी-उच्च न्यायालय की ओर से अधिवक्ता रंजीत सिंह कालरा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव चोपड़ा।

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16839 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 16 और 18 से 31 के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कौशल, अनुराग गोयल, अधिवक्ता और अर्जुन शुक्ला, अधिवक्ता और शेली अरोड़ा, अधिवक्ता

सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2015 की 16863 और 17939 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 33 से 35 और 2016 की सी. डब्ल्यू. पी.-24263 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 25 से 27 के लिए अधिवक्ता पुनीत गुप्ता और अधिवक्ता क्षितिज गोयल।

सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2016 की संख्या 24263,2015 की संख्या 16863 और 2015 की संख्या 17939 में प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से अधिवक्ता अमित अग्रवाल और अधिवक्ता राधिका यादव और अधिवक्ता हिमांशु अरोड़ा।

2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 24263 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 17,21 और 22 के लिए अधिवक्ता सुनील के. नेहरा, अधिवक्ता के लिए अधिवक्ता अर्णव उदय सिंह। श्री संजीव शर्मा, अधिवक्ता, 2015 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16839 और 2016 की 14986 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 3,7 और 8 के लिए, 2015 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16863 और 2015 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 17939 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 23,27 और 28 के लिए।

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1793 उत्तरदाताओं के लिए सं. 23,24 और 29 के लिए, 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16863 उत्तरदाताओं के लिए सं. 23,24 और 29 के लिए, 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 14986 उत्तरदाताओं के लिए सं. 3,4 और 9 के लिए, 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16839 उत्तरदाताओं के लिए सं. 3,4 और 9 के लिए अधिवक्ता तेवर शर्मा।

अनमोल दत्त शर्मा, अधिवक्ता, 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 14986 उत्तरदाता संख्या 4 और 9 के लिए, 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16839 उत्तरदाता संख्या 4 और 9 के लिए और 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 24263 में याचिकाकर्ता संख्या 1 और 3 के लिए।

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16863 में प्रतिवादी सं. 35 के लिए रुबीना वर्मानी, अधिवक्ता

गुरिंदर पाल सिंह, अधिवक्ता, 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 24263 उत्तरदाता संख्या 25 और 26 के लिए, सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16863 और 2015 के 1793 उत्तरदाता संख्या 33 और 34 के लिए।

ऑगस्टीन जॉर्ज मैसिह, जे.

(1) रिट याचिकाओं के इस समूह में विभिन्न स्रोतों से नियुक्त सीधी भर्ती, पदोन्नति के आधार पर न्यायाधीशों के बीच वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए गठित उप-समिति की दिनाँक 12.4.2008 की बैठक के कार्यवृत्त को चुनौती दी गई है, जिसमें विभागीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट जिन्हें सेवा में शामिल किया गया और इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 15.01.2013 और अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 22.10.2013 दी गई है।

न्यायाधीशों (त्वरित) द्वारा चुनौती दी गई है, जिन्हें शुरू में अपनी श्रेणी/कोटे में पदों की अनुपलब्धता के कारण तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है और वे इस चुनौती के अलावा उक्त सेवा के लाभ का दावा कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष भर्तियां सेवा में बाद के चरण में आई हैं और इस प्रकार उन्हें वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार उनकी तदर्थ सेवा की गणना करके वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण के लिए प्रार्थना की गई है। प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए न्यायाधीश अपनी नियुक्ति की तारीख पहले होने के आधार पर पदोन्नति प्राप्त न्यायाधीशों (त्वरित) से अधिक वरिष्ठता का दावा कर रहे हैं।

(2) 2015 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16863 और 17939 को फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों द्वारा प्राथमिकता दी गई है, 2015 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16839 और 2016 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 14986 को पदोन्नति प्राप्त न्यायाधीशों (त्वरित) द्वारा प्राथमिकता दी गई है और 2016 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 24263 को प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों द्वारा पहल दी गई है। चुनौती की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधीशों की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक रिट याचिका दायर की जाती है, जिन्होंने उपरोक्त वरिष्ठता सूचियों और बैठक के कार्यवृत्त को एक संदर्भ मामले के रूप में चुनौती दी थी।

(3) फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के संबंध में सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16863-2015 जिसका शीर्षक रजनीश बंसल और अन्य बनाम है। हरियाणा राज्य और अन्य, पदोन्नति प्राप्त न्यायाधीश (त्वरित), 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16839 जिसका शीर्षक परमवीर निज्जर और अन्य बनाम पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय और अन्य और प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीश, 2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 24263 जिसका शीर्षक राकेश कुमार यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य को अभिवचनों को संदर्भित करने के उद्देश्य से प्रमुख मामले के रूप में लिया जा रहा है और संबंधित ऐसे दावों को सामने रखने के लिए खड़े हैं।

(4) 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16863 में, रजनीश बंसल के मामले (उपरोक्त) में, यह अनुरोध किया गया है कि बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में, जिसके तहत फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना का निर्देश दिया गया था और उच्च न्यायालयों को नियुक्तियां करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

(5) फास्ट ट्रैक में पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए अधिसूचना दिनांक 26.05.2003 के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे पंजाब राज्य और हरियाणा में न्यायालय। याचिकाकर्ताओं ने उक्त कार्य के लिए आवेदन किया, जिसमें आवश्यकता यह थी कि उम्मीदवार को 01.01.2003 पर 35-45 वर्ष के आयु वर्ग के बीच 10 वर्ष से अधिक समय तक अधिवक्ता होना चाहिए, नियुक्ति शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए थी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकता था।सेवा को नियंत्रित करने वाले नियम हरियाणा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (तदर्थ) भर्ती और सेवा की शर्तें नियम, 2001 होंगे जो उच्च न्यायिक सेवाओं के सेवानिवृत्त सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनाए गए हैं।

(6) पूर्ण न्यायालय द्वारा गठित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठ माननीय न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा 24.11.2003 से 27.11.2003 पर साक्षात्कार आयोजित किए गए थे।साक्षात्कार के आधार पर, छह उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की गई और पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखी गई, जिसे मंजूरी दी गई। पदों को भरने के लिए मामला हरियाणा सरकार को भेजा गया था। सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 5.12.2005 के आदेश के अनुसार छह पीठासीन अधिकारियों को हरियाणा राज्य में एक वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों (तदर्थ) के रूप में नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता और इसी तरह नियुक्त किए गए लोग अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों (तदर्थ) फास्ट ट्रैक अदालतों के रूप में 06.03.2004 और 08.03.2004 के बीच शामिल हुए।

काम और आचरण संतोषजनक होने के कारण, उन्हें साल-दर-साल आधार पर विस्तार दिया गया।

(7) वर्ष 2005 में, पांच पदोन्नत न्यायाधीशों को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (तदर्थ) फास्ट ट्रैक न्यायालय के रूप में अस्थायी आधार पर दिनांक 30.4.2005 के आदेश के अनुसार नियुक्त किया गया। उक्त नियुक्ति पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि वे वरिष्ठता के उद्देश्य से कार्यावधि के लाभ के हकदार नहीं होंगे।

(8) पंजाब श्रेष्ट न्यायिक सेवा नियम (इसके बाद '1963 नियम' के रूप में संदर्भित) जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है को निरस्त कर दिया गया और हरियाणा श्रेष्ट न्यायिक सेवा नियम, 2007 को जारी किया गया जिन्हें 10.01.2007 (इसके बाद '2007 नियम' के रूप में संदर्भित) पर अधिसूचित किया गया था। नियम 6 ने अधीनस्थ न्यायपालिका में त्वरित पदोन्नति द्वारा से उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति का एक अन्य स्रोत बनाकर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार प्रदान करने वाली भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाया। इसके परिणामस्वरूप कम से कम पांच पदों वाला सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से योग्यता के आधार पर पदोन्नति से सेवा में भर्ती के लिए कोटा अब 25 प्रतिशत हो गया है। वर्ष योग्यता सेवा, योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) के बीच पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत और उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली 200 अंकों की लिखित परीक्षा और 50 अंकों की मौखिक परीक्षा से आयोजित करके ओर 25 प्रतिशत पात्र अधिवक्ता सीधी भर्ती द्वारा योग्य होगे।

(9) याचिकाकर्ताओं को नियमित संवर्ग में नियुक्त/अवशोषित करने के बजाय, सीधी भर्ती द्वारा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के 22 नियमित पदों को भरने के लिए दिनांकित विज्ञापन जारी किया गया था। फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों द्वारा 15.01.2007 पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियमित संवर्ग में उनके समावेशन के लिए प्रार्थना की गई थी क्योंकि वे फास्ट ट्रैक अदालतों में पीठासीन अधिकारियों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। याचिकाकर्ता संख्या 2-जसबीर सिंह कुंडू ने इसी तरह के कुछ अन्य फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के साथ उचित माध्यम से उक्त पद के द्वारा आवेदन किया जिनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। इस बीच, 2007 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8587 को फास्ट ट्रैक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा पहल दी गई थी, जिसमें

याचिकाकर्ताओं ने अवशोषण के लिए प्रार्थना की थी और उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 18.05.2007 को चुनौती दी थी जिसमें प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उपरोकत रिट याचिका का निपटारा पंजाब और हरियाणा के फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों को बृज मोहन लाल के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के मुताबिक उन्हें शामिल करने के लिए उच्च न्यायालय में एक संयुक्त प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ दिनांक 30.5.2017 के आदेश द्वारा किया गया था।

(10) सभी फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों द्वारा दिनांकित 19.6.2007 एक संयुक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर चयन और नियुक्ति समिति द्वारा दिनांक 10.9.2007 में आयोजित बैठक में विचार किया गया था और कहा गया था कि फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश नियमित रिक्तियों के खिलाफ अवशोषण के लिए विचार करने के हकदार हैं जिसमें एक शर्त है कि उनका प्रदर्शन संतोषजनक होना चाहिए। चूंकि नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी इसलिए चयन और नियुक्ति समिति द्वारा फास्ट ट्रैक अदालत समिति के विचार मांगे गए थे। भर्ती और चयन समिति ने हरियाणा राज्य में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा आयोजित उपयुक्त लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों का आकलन करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन अधिकारियों ने परीक्षा और साक्षात्कार में उचित पाये गए, उन्हें नियमित प्रत्यक्ष भर्तियों के कोटे से संबंधित पद में शामिल किया जाएगा।

(11) एक परिक्षा 4.2.2008 आयोजित की गई थी। फास्ट ट्रैक अदालतों के सभी छह पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया लेकिन उनमें से पांच को परीक्षा और साक्षात्कार में सफल घोषित किया गया। चयन समिति ने अंततः, 18.03.2008 पर इन पाँचों को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों, फास्ट ट्रैक न्यायालयों के रूप में शामिल करने की सिफारिश की। चयन समिति की इस सिफारिश को पूर्ण न्यायालय द्वारा 10.04.2008 पर आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार कर लिया गया था और प्रत्यक्ष कोटे की नियमित रिक्तियों के खिलाफ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के नियमित संवर्ग में उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिशें की गई थीं। नियुक्ति पत्र 19.05.2008 में जारी किए गए थे और इसके अनुसरण में याचिकाकर्ता नियमित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में सेवा में शामिल हुए।

(12) यह आरोप लगाया गया है कि इन फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों को बाद में पता चला कि उन्हें गलत तरीके से और अवैध रूप से नए बनाए गए पद के खिलाफ शोषित किया गया है न कि उन पदों पर जो पहले मौजूद थे जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को तदर्थ आधार पर उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से विचार और नियुक्ति के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है। उन्हें पदस्थापित करने के आदेश दिए गए। अस्थायी वरिष्ठता सूची को भर्ती और पदोन्नति समिति की बैठक के कार्यवृत्त के साथ 15.01.2013 पर प्रसारित किया गया था जिसमें आपत्तियां बताई गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने अपनी आपत्तियां पेश की। समिति

व्यक्तिगत रूप से/या वकील द्वारा सुनवाई करने के बाद आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ी और समिति द्वारा 12.04.2008 में अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करने पर सिफारिशें की गईं।पूर्ण न्यायालय इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा और उस पर निर्णय लिया। अंतिम वरिष्ठता सूची 22.10.2013 पर अधिसूचित की गई थी।यह भर्ती और पदोन्नति समिति द्वारा आयोजित दिनांक 12.04.2008 की बैठक के कार्यवृत्त हैं, जिनके बाद दिनांक 15.01.2013 की अस्थायी वरिष्ठता सूची के साथ-साथ दिनांकित 22.10.2013 की अंतिम वरिष्ठता सूची को याचिकाकर्ताओं, जो फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश द्वारा इन रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है।

(13) साल 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16839 के संबंध में जिसका शीर्षक परमवीर निज्ञर और अन्य बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य का संबंध है, याचिकाकर्ताओं को सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-सह-न्यायिक न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें हरियाणा राज्य में फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (तदर्थ) के मौजूदा अस्थायी पदों के खिलाफ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (तदर्थ) के रूप में पदोन्नत किया गया था। वर्ष 2009 में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनौपचारिक आधार पर पदोन्नति की अपनी प्रारंभिक तिथि से वरिष्ठता का दावा करते हैं। इससे पहले हरियाणा श्रेष्ट न्यायिक सेवा नियम 2007 (जिसे इसके बाद '2007 नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार जिसे हरियाणा श्रेष्ट न्यायिक सेवा नियम में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए 10.01.2007 पर अधिसूचित किया गया था, एक उपयुक्तता परीक्षा जिसके बाद मोखिक परिक्ष निर्धारित किया गया था। उक्त परीक्षा नवंबर/दिसंबर, 2007 के महीने में आयोजित की गई थी और उन्होंने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की और अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (तदर्थ) फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नियुक्त किए गए।इसके बाद 18.04.2009 पर उन्हें फिर से उपयुक्तता परीक्षण के लिए बुलाया गया जिसे उनके द्वारा भी मंजूरी दे दी गई जिससे उन्हें 20.07.2009 पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया। वरिष्ठता सूची में जिसे 22.10.2013 पर अधिसूचित किया गया था जिसे अन्य रिट याचिकाओं में भी चुनौती दी गई है, उन्हें तदर्थ सेवा का लाभ नहीं दिया गया है जिसे उन्होंने फास्ट ट्रैक न्यायालयों के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों (अनौपचारिक) के रूप में प्रदान किया था।

(14) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, उनके द्वारा दायर एक आवेदन पर, यह पता चला कि चयन और नियुक्ति समिति के दिनांक 16.12.2008 की बैठक में सामने आया के 2007 के नियमों के नियम 6 (1) (ए) के तहत तीन रिक्तियों को भरा जाना था। 4/5 वास्तव में रिक्तियां उपलब्ध थीं। उन्हें शुरू में मानदंडों को पूरा करने के बाद 23.02.2008 पर नियुक्त किया गया था और इस प्रकार नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से वरिष्ठता का लाभ पाने के हकदार थे। उन्हें गलत तरीके से सीधी भर्तियों से नीचे रखा गया था और इसलिए यह टिकाऊ नहीं है। उनके द्वारा एक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दिए जाने पर चयन और नियुक्ति समिति द्वारा उस पर विचार किया गया और उसे अस्वीकार करने की सिफारिश की गई।उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने 08.07.2014 पर आयोजित अपनी बैठक में उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिससे दिनांकित 22.10.2013 की वरिष्ठता सूची और दिनांकित 08.07.2014 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया गया है।

(15) राकेश कुमार यादव की रिट याचिका में, प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों ने एक प्राथमिक शिकायत के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि चूंकि उन्हें पदोन्नत (त्वरित) न्यायाधीशों से पहले नियुक्त किया गया था, इसलिए उन सभी को वरिष्ठता सूची में उनके ऊपर रखा जाना आवश्यक है और इस प्रकार, वरिष्ठता सूची को तदनुसार फिर से तैयार किया जाना चाहिए।

(16) नोटिस जारी होने पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ-साथ निजी प्रतिवादियों द्वारा भी जवाब दायर किया गया है।उच्च न्यायालय का रुख यह है कि हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों के बीच अंतर-वरिष्ठता मोटे तौर पर से संबंधित है। चार श्रेणियाँ:(i) सीधी भर्तियाँ; (ii) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग)/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के बीच में से पदोन्नत अधिकारी; (iii) त्वरित पदोन्नति के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी और (iv) हरियाणा श्रेष्ट न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में अवशोषित अधिकारी जो अनौपचारिक आधार पर फास्ट ट्रैक अदालत में पीठासीन अधिकारियों के रूप में काम कर रहे थे। हरियाणा श्रेष्ट न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तों को पहले पंजाब श्रेष्ट न्यायिक सेवा नियम 1963 (इसके बाद '1963 नियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित किया जाता था जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू होता है। उक्त नियमों को हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा नियम 2007 द्वारा ख़ारिज कर दिया गया था। इन 2007 के नियमों का नियम 6 भर्ती से संबंधित है और नियम 10 अंतर-वरिष्ठता से संबंधित है।

(17) नियम 6 (1) में उल्लेख किया गया है कि 50 प्रतिशत पद योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति द्वारा और 25 प्रतिशत पद उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर योग्य अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके उप-नियम (2) में विभिन्न श्रेणियों यानी ऊपर उल्लिखित तीन अलग-अलग श्रेणियों के लिए वर्गीकरण के अनुसार पद भरने का प्रावधान है। वरिष्ठता नियम 10 के उप-नियम (i) के अधीन होती है जिसमें हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा श्रेणीवार और स्वयं श्रेणियों के बीच भी सदस्यों के बीच अंतर-वरिष्ठता के संबंध में विवरण दिया गया है। उप-नियम (2) नियम 6 में उल्लिखित तीन श्रेणियों के वेर्गीकरण को बनाए रखने के लिए संदर्भित करता है चाहे असल में सेवा में शामिल होने की तारीख कुछ भी हो। उप-नियम (3) में यह निर्धारित किया गया है कि एक अलग खंड में निर्दिष्ट पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत एक अधिकारी को उस पद का कोई अधिकार नहीं होगा जिसमें वह आता है उससे अलग श्रेणी से संबंधित है और वह वरिष्ठता के उद्देश्य से तदर्थ सेवा की अवधि जोड़ने का हकदार नहीं होगा। उक्त नियम का प्रावधान 2007 के नियमों द्वारा पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 1963 के निरसन से पहले से दी गई वरिष्ठता की रक्षा करता है।

नियम 32 एक निरसन नियम है। हालांकि, नियमों के तहत की गई कोई भी कार्रवाई या की गई कोई भी कार्रवाई नियमों द्वारा या उनके तहत प्रदत्त शक्ति के अनुसार वैध रूप से की गई या की गई मानी जाएगी जैसे कि जब ऐसी कार्रवाई की गई थी तो नियम लागू थे।इसका मतलब यह है कि पंजाब श्रेष्ट न्यायिक सेवा नियम, 1963 के तहत की गई कार्रवाइयों को संरक्षित किया गया था।

(18) याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में तथ्य रजनीश बंसल के मामले में (उपरोक्त) अनौपचारिक आधार पर फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के रूप में और उनकी निरंतरता पर कोई विवाद नहीं हुआ है और न ही यह विवादित है कि वे नियमित संवर्ग में समाहित हैं। हालाँकि 18.5.2007 यह बताया गया है कि दिनांक की अधिसूचना के अनुसार, 22 रिक्तियों को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में सीधी भर्ती द्वारा से भरने के लिए विज्ञापित किया गया था, जिनमें से 14 सामान्य श्रेणी, 5 अनुसूचित जाति श्रेणी और 3 पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंधित हैं।इस बीच, जब चयन की प्रक्रिया चल रही थी, हरियाणा सरकार द्वारा संवर्ग में 20 पदों का सृजन किया गया था, जिनमें से 5 पद 25 प्रतिशत कोटा होने के कारण प्रत्यक्ष भर्तियों के हिस्से में आ गए थे।

(19) चयन समिति की बैठक 18.3.2008 पर आयोजित की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों से अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के नियमित संवर्ग में शामिल होने के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की गई श्रेणीकरण के अलावा लिखित परीक्षा और मोखिक परिक्षा में से कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक सतह होंगे जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर फास्ट ट्रैक अदालत समिति के सदस्य थे। चयन समिति की इन सिफारिशों को पूर्ण न्यायालय ने 10.04.2008 में अपनी बैठक में मंजूरी दी थी।

(20) पूर्ण न्यायालय के इस निर्णय के आधार पर, पांच अधिकारियों, रजनीश बंसल (2015 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16863 में याचिकाकर्ता संख्या 1), विमल कुमार (2015 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 17,939 में याचिकाकर्ता संख्या 1), संदीप गर्ग (2015 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 17,939 में याचिकाकर्ता संख्या 2), जसबीर सिंह कुंडू (2015 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16863 में याचिकाकर्ता संख्या 2) और अश्विनी कुमार शोरी, जो हरियाणा राज्य में फास्ट ट्रैक अदालतों में पीठासीन अधिकारियों के रूप में काम कर रहे थे, की हरियाणा सरकार को सीधे भर्तियों के कोटे के खिलाफ नियमित संवर्ग में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में उनके समावेशन/नियुक्ति के लिए इस अदालत के पत्र दिनांक 22.4.2008 के माध्यम से सिफारिश की गई थी।

(21) चयन/प्रशासनिक समिति की बैठक तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में दिनाक 11.4.2008 पर आयोजित की गई थी और उक्त बैठक में बार से 25 प्रतिशत के मुकाबले विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों की कुल रिक्तियों की जांच करने और हरियाणा राज्य में पहले से ही ए. डी. जे. (तदर्थ), पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक अदालतों के रूप में काम कर रहे 5 अधिकारियों के समावेशन के मुद्दे की जांच करने के लिए चार न्यायाधीशों की एक उप-समिति का गठन किया गया था।

उप-समिति ने अपनी दिनांक 12.4.2008 की बैठक में कुल रिक्तियों और हरियाणा सरकार को सामान्य श्रेणी से 14 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश के लिए प्रस्तावित किया गया जैसा कि मूल रूप से 18.05.2007 पर विज्ञापित किया गया था और साथ ही भरे जाने वाले पदों में से 2 अनुसूचित जाति और 1 पिछड़े वर्ग का चयन किया गया था।अनुसूचित जाति के लिए 3 रिक्तियों और पिछड़े वर्ग के लिए 2 रिक्तियों के लिए, जो खाली रह गई थीं, यह प्रस्ताव किया गया था कि अधिकारियों की कमी के कारण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 2007 के नियमों के नियम 18 में छूट देकर योग्यता के आदेश में सामान्य

श्रेणी के उम्मीदवारों से उन खाली आरक्षित पदों को भरने के लिए हरियाणा सरकार को एक सिफारिश की जाए। **बिहार राज्य में न्यायालय और अन्य बनाम बाल मुकंद साह और** अन्य 2.उप-समिति की इन सिफारिशों पर चयन/प्रशासनिक समिति द्वारा 22.04.2008 पर अपनी बैठक में विचार और अनुमोदन किया गया, जिसे पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा गया था।

(22) पूर्ण न्यायालय ने 25.04.2008 पर आयोजित अपनी बैठक में चयन/प्रशासनिक समिति ने दिनाक 22.04.2008 निर्णय को मंजूरी दी। इसके अनुसरण में हरियाणा सरकार को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में बार से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए पत्र दिनाक 28.4.2008 सीफारिश की गई। इन सीफारिशो पर हरियाणा सरकार ने विचार किया, लेकिन बार के 16 उमीदवारों को मंजूरी दी, जिस से अत्तिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। हरियाणा राज्य के आदेश दिनाक 19.5.2008 द्वारा अत्तिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों को उच्च न्यायालय की सिफारिशों के अनुसरण को 2007 के नियमों के नियम 6 (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए उनको शामिल कर लिया गया।

(23) इसके लागू होने के साथ, 2007 के नियमों के नियम 6 के तहत पदोन्नत/अवशोषित/नियुक्त अधिकारियों के वर्गीकरण के अनुसार अंतर-वरिष्ठता के निर्धारण के मामले को निर्धारित किया जाना था और उस उद्देश्य के लिए, इसे समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया था। अंदाजन वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी और दिनांकित 15.01.2013 पत्र के 30 दिनों के भीतर आपत्तियां प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारियों के बीच वितरित की गई थी। इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं सहित आपत्तियां 68 प्राप्त हुईं। कुछ अधिकारी समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से और कुछ अधिवक्ताओं द्वारा से उपस्थित हुए जिन्हें 04.05.2013 और 25.05.2013 को सुना गया। समिति ने उन प्रस्तुतियों पर विचार करने पर आगे आने वाली आपत्तियों ने अस्थायी वरिष्ठता सूची पर उक्त आपत्तियों को खारिज करते हुए दिनांक 23.07.2013 का एक सुविचारित निर्णय लिया। वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने और पूर्ण न्यायालय के निर्णय के अधीन प्रसारित करने का आदेश दिया गया था।

पूर्ण न्यायालय को 05.10.2013 में आयोजित किया गया था, उपरोक्त सिफारिश पर विचार करने पर, इसे स्वीकार नहीं किया और एक निर्णय लिया, जो इस प्रकार हैः-

"(i) हरियाणा श्रेष्ट न्यायिक सेवा नियम, 2007 की घोषणा से पहले पदोन्नत/नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता, यानी अधिसूचना दिनांक 10.01.2007 से पहले, अप्रभावित रहेगी।

(ii) हालांकि, नए नियमों की घोषणा के बाद पदोन्नत अधिकारियों की अंतर-वरिष्ठता नए नियमों द्वारा शासित होगी, यानि हरियाणा श्रेष्ट न्यायिक सेवा नियम 2007 के नियम 10 (i) (d) उपरोक्त नियमों के साथ संलग्न वर्गीकरण के अनुसार होगी।

(iii) वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वरिष्ठता प्रदान करने की उपरोक्त कवायद वर्ष 2008 में पदोन्नत/नियुक्त/अवशोषित अधिकारियों के संबंध में की जाएगी।

(iv) सीधे भर्ती किए गए अधिकारी जो वर्ष 2008 के अंत में असंबद्ध रहते हैं, उन्हें उनकी श्रेणी की परवाह किए बिना, ऊपर बताए गए तरीके से समायोजित अधिकारियों के नीचे एक साथ रखा जाएगा।

(v) वे अधिकारी जो फास्ट ट्रैक अदालतों में काम कर रहे थे और जिन्हें बाद में सीधे भर्ती के कोटे के खिलाफ शामिल किया गया था, उन्हें सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के तुरंत नीचे रखा जाएगा।

कार्यालय को तदनुसार वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई वरिष्ठता सूची को अगली बैठक में अनुमोदन के लिए पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाए।"

इसके अनुसरण में, वरिष्ठता सूची तैयार की गई और पूर्ण न्यायालय के समक्ष 10.10.2013 पर रखी गई, जिसने इसे मंजूरी दी और 22.10.2013 पर परिचालित किया गया।

(24) उच्च न्यायालय ने फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों, जिन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता के उनके दावे के संबंध में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, के दावे पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जिस योजना के खिलाफ वे थे, वह नियुक्ति अस्थायी अवधि के लिए की गई थी। वे सीधी भर्तियों के लिए नियमित चयन प्रक्रिया से नहीं गुजरे थे। उनके अवशोषण के समय भी, वे एक ही चयन प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं, बल्कि उपयुक्तता परीक्षण उनकी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से किया गया था।किसी भी मामले में, वे बृज मोहन लाल (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में उक्त लाभ के हकदार नहीं हैं, जहां अनुच्छेद-129 में, जहां इस न्यायालय के अधिकारियों की प्रार्थना, जिन्हें अपनी सेवाओं को नियमित करने और नियमित संवर्ग में अवशोषित करने के लिए बार से सीधे भर्तियों के माध्यम से फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था, को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उन्हें इस पद पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने लिखित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी और उन्हें केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किया गया था और अब उन्हें आवश्यक परीक्षा से गुजरना होगा। उनकी नियुक्ति पंजाब श्रेष्ट ज्यूडिशियल सेवा नियम, 1963 के तहत नहीं है, बल्कि हरियाणा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (अस्थाई) भर्ती और स्थिति सेवा नियम, 2001 के तहत है, जो विशुद्ध रूप से अस्थायी प्रकृति का था, इसलिए उनका दावा अस्थिर है और खारिज किए जाने योग्य है।

(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

(25) निजी प्रतिवादी द्वारा भी इसी तरह का रुख अपनाया गया है, जिसमें एक अतिरिक्त याचिका दायर की गई है कि रिट याचिकाओं को देरी और विलंब से रोक दिया गया है क्योंकि वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया गया है औपर वर्ष 2013 में प्रसारित किया गया है, लेकिन वर्तमान रिट याचिका को दावे के संबंध में वैधानिक नियमों पर निर्भरता के अलावा लगभग दो साल की अवधि के बाद प्राथमिकता दी गई है।

(26) याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुनीत जिंदल, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलों का नेतृत्व किया है, ने हमें दलीलों द्वारा से लिया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों की ओर से प्रस्तुत किया है, जो अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के नियमित संवर्ग में शामिल हैं, कि वरिष्ठता, जैसा कि तय किया गया है, इस तथ्य के आलोक में अस्थिर है कि इन अधिकारियों को अधिसूचना दिनांक 05.12.2003 द्वारा से नियुक्त किया गया था और 06.03.2004 और 08.03.2004 के बीच सेवा में शामिल हुए थे। उनका काम और आचरण संतोषजनक पाए जाने पर, उन्हें साल-दर-साल आधार पर विस्तार दिया गया और इस तरह जारी रखा गया। याचिकाकर्ताओं के नियमित संवर्ग में उनके समावेशन के दावे के संबंध में कोई बाधा नहीं थी और इस प्रकार, सीधे भर्तियों के लिए पद उपलब्ध होते ही इसे अवशोषित कर लिया जाना चाहिए था।

(27) वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथियों से वरिष्ठता का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि में नियुक्त किए गए अधिकारियों के अलावा अपनी नियुक्ति का दावा कर रहे हैं।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के 22 नियमित पदों पर चयन और नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना/विज्ञापन दिनाँक 18.05.2007 के अनुसरण में, जिनमें से 16 की नियुक्ति की गई थी। इसलिए, उन्हें पहले से ही सेवा में रहे प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों से ऊपर रखा जाना चाहिए। इस लाभ का दावा करने के लिए, वकील ने 2007 के नियमों के नियम 6 और 10 पर भरोसा रखा है क्योंकि फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों और प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों के साथ-साथ प्रोन्नति (त्वरित) न्यायाधीशों की नियुक्ति उसी वर्ष यानी 2008 की है। उनका निवेदन है कि 2007 के नियमों के लागू होने के साथ, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों को प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के खिलाफ व्यवहार करने की आवश्यकता है और पहले से ही सेवा में होने के कारण उन्हें सीधे भर्तियों के लिए निर्धारित और निर्धारित वर्गीकरण बिंदु के अनुसार स्थान दिए जाने चाहिए। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, वकील ने बृज मोहन लाई बनाम भारत संघ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, यह तर्क देने के लिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधिकारियों की नियुक्ति उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में की गई थी और इसके अनुच्छेद संख्या 10 में यह उल्लेख किया गया था कि यदि बाद में भर्ती होती है और फास्ट ट्रैक न्यायालयों में उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है, तो उन्हें नियमित रिक्तियों में शामिल किया जा सकता है। प्रारंभिक चयन उच्च न्यायालय द्वारा चयन के तरीकों को अपनाकर करने का भी निर्देश दिया गया था जैसा कि आमतौर पर उच्चन्यायिक सेवाओं में सीधी भर्ती के रूप में बार के सदस्यों के चयन के लिए किया जाता है।

(28) रिलायंस को बृज मोहन लाल-द्वितीय बनाम भारत संघ 4 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी रखा गया है, जहां अनुच्छेद संख्या 180 में, हालांकि फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों को नियमित संवर्ग में

अवशोषण और नियमितीकरण के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, लेकिन यह देखा गया कि उन्हें अब आवश्यक जांच से गुजरना होगा। याचिकाकर्ताओं ने पूर्ण न्यायालय के निर्णय के अनुसार लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार दिया, जिसमें समिति की सिफारिशों पर उन्हें उपयुक्त पाया गया है और प्रत्यक्ष कोटा पदों के खिलाफ अवशोषण द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है, जो उच्च न्यायालय की सिफारिशों को भी सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, उन्हें प्रत्यक्ष भर्तियों के बराबर माना जाना चाहिए और उनके ऊपर वरिष्ठता दी जानी चाहिए जो पहले से ही काम कर रहे हैं और अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा, उनका तर्क है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की तारीख और निर्देश अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में भर्तियां वही होती हैं अर्थात 19.05.2013। इसी तरह, उनका तर्क है कि सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर त्वरित पदोन्नति के माध्यम से पदोन्नत अधिकारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों और प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों के बाद नियुक्त किया गया है, इसलिए उन्हें उनसे वरिष्ठ नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, दिनांकित 22.10.2013 की वरिष्ठता सूची और दिनांकित 08.07.2014 के आदेश को अलग करने के लिए प्रार्थना की गई है, जिसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था और उन्हें प्रत्यक्ष कोटा पदों के खिलाफ वैधानिक नियमों के अनुसार सही वरिष्ठता का लाभ दिया गया था।

3 2002 (5) एस. सी. सी. 1

4 2012 (6) एस. सी. सी. 502

(29) वकील ने आगे इस तथ्य पर जोर दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों को कैडर में शामिल किया गया था और यह एक नई नियुक्ति नहीं थी। चूँकि यह एक नई नियुक्ति नहीं थी, इसका स्पष्ट रूप से मतलब है कि वे पहले से ही काम कर रहे थे और काम के लिए नए नहीं थे, जैसा कि उन्होंने समय के साथ अनुभव प्राप्त किया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 10.12.2007 और 04.01.2008 पर उत्पन्न होने वाली नई रिक्तियों पर पूर्ण न्यायालय द्वारा ध्यान दें गया था और पदों का विज्ञापन किया गया था। प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों की लिखित परीक्षा 22.02.2008 से 24.02.2008 पर आयोजित की गई थी। मौखिक परिक्षा अप्रैल के पहले सप्ताह में 08.04.2008 तक आयोजित किया गया था, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए लिखित परीक्षा और मौखिक परिक्षा की प्रक्रिया 04.02.2008 को संपन्न हुई थी और पूर्ण न्यायालय द्वारा उन्हें 18.03.2008 पर आमेलित करना का निर्णय लिया गया था। प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया समाप्त होने से पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधिकारियों के समायोजन/अवशोषण के लिए उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा निर्णय पहले ही लिया जा चुका है और इसलिए, उन्हें प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के खिलाफ विचार करने और व्यवहार करने का पूर्व अधिकार था।

(30) वकील का एक और तर्क यह है कि पदों की उपलब्धता के आधार पर अंतर-वरिष्ठता कभी निर्धारित नहीं की गई थी। पंजाब श्रेष्ट ज्यूडिशियल सेवा नियम 10 का प्रावधान सेवा के मौजूदा सदस्यों की

वरिष्ठता की रक्षा करता है। इसलिए फ़ास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों की तुलना में बेहतर अधिकार है और विभाग में पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की उपेक्षा करते हुए और उक्त पद के कर्तव्यों का पालन करते हुए नई नियुक्तियों को पुरानी रिक्तियां देने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार, उनकी रिट याचिकाओं को अनुमति देने के लिए प्रार्थना की गई है।

(31) दूसरी ओर उच्च न्यायालय के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि पूर्ण न्यायालय ने दिनांक 23.07.2013 की समिति की सिफारिश पर विचार करने पर अपने निर्णय दिनांक 05.10.2013 के माध्यम से उक्त सिफारिश को प्रतिग्रहण करना नहीं किया और अंततः में पारित कर दिया। यह निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े कि हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 की घोषणा से पहले पदोन्नत/नियुक्त अधिकारी, जिन्हें 10.01.2007 पर अधिसूचित किया गया था, अप्रभावित रहेंगे। इस तरह के निर्णय का कारण यह था कि प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों, त्वरित अदालत के न्यायाधीशों और पदोन्नति (त्वरित) न्यायाधीशों की नियुक्तियां वर्ष 2008 में हुई हैं। चूंकि उक्त 2007 नियम डब्ल्यू. ई. एफ. 10.01.2007 से प्रभावी हुए थे, इसलिए इससे पहले की गई नियुक्तियों को इन नियमों के नियम 10 (iii) और नियम 32 के प्रावधान द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

नियम 10, जो वरिष्ठता से संबंधित है, नियुक्तियों के संबंध में निर्धारक कारक होगा, जो 2007 के नियमों के लागू होने के बाद की गई हैं। 2007 के नियमों के नियम 10 (i) (घ) में वर्गीकरण को बनाए रखने का प्रावधान है, जिसे नियमों के साथ जोड़ा गया था और इसलिए वरिष्ठता को वर्ष 2008 के लिए रोस्टर प्रणाली के अनुसार सौंपा जाना था। सभी सीधे भर्ती किए गए न्यायाधीश, जो वर्ष 2008 में असंबद्ध रहे, उन्हें नियम 10 (i) (घ) के अनुसार समायोजित अधिकारियों के तहत एक साथ रखा जाना था, चाहे उनकी श्रेणी कुछ भी हो और उनके बाद फास्ट ट्रैक अदालतों में काम करने वाले प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के खिलाफ अवशोषित अधिकारी हों। फास्ट ट्रैक अदालत के अधिकारियों को वरिष्ठता प्रदान करते हुए उक्त निर्णय लिया गया था क्योंकि उन्हें प्रारंभिक चरण में एक नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया था और वह भी सीधे भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की कठोरता से गुजरे बिना अस्थायी अवधि की योजना के तहत। उनके अवशोषण के समय भी, वे एक ही चयन प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं, बल्कि उपयुक्तता परीक्षण उनकी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से किया गया था।

(32) यह उनका आगे का तर्क है कि पूर्ण न्यायालय द्वारा बृज मोहन लाल के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में उन्हें नियमित संवर्ग में आमेलित करना का निर्णय लिया गया है। इस आधार पर, उच्च न्यायालय के वकील ने तर्क दिया है कि सेवा को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों, विशेष रूप से हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2007 के नियम 6 और 10, जो क्रमशः पदोन्नति/नियुक्ति और वरिष्ठता को नियंत्रित करते हैं, को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देते समय पूर्ण न्यायालय द्वारा एक सुविचारित निर्णय लिया गया है। पूर्ण न्यायालय दिनांक 05.10.2013 के निर्णय के अनुसरण में एक वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया गया है और उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2013

की अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है, जिसे अंतिम वरिष्ठता सूची होने के कारण 2 पर प्रसारित किया गया था। उनका निवेदन है कि एक बार चयन किसी विशेष वर्ष का हो जाने के बाद, पदों को वर्गीकरण के अनुसार सौंपा जाना चाहिए। नियम 10 (i) (घ) के तहत गया है और तदनुसार, उक्त वर्ष के लिए वरिष्ठता तय की गई है।जहां प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों को समायोजित नहीं किया जा सका, उन्हें फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों से ऊपर रखा गया है, जिन्हें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के नए बनाए गए 20 पदों के खिलाफ अवशोषित/नियुक्त किया गया है, जिनमें से पांच पद प्रत्यक्ष भर्ती के कोटे में आते हैं। चूंकि फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के मामले पर बाद में बनाए गए और स्वीकृत पदों के खिलाफ विचार किया गया है, इसलिए उन्हें वर्ष 2008 में नियुक्त किए गए संवर्ग में प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों के नीचे वरिष्ठता दी गई है और वह भी उसी तारीख यानी 19.05.2008 पर। इस प्रकार, रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

(33) निजी प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील, दोनों प्रत्यक्ष भर्तियों के साथ-साथ प्रोमोटी (त्वरित) न्यायाधीशों सहित पदौन्नत न्यायाधीशों ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों को प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों के साथ-साथ पदौन्नत न्यायाधीशों के अलावा वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वैधानिक नियमों का पालन किया गया है। तथ्य यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा उनके अवशोषण के लिए की गई सिफारिश उन 5 पदों के खिलाफ थी जो हरियाणा सरकार द्वारा 20 नए पदों की मंजूरी पर प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों के कोटे में आते थे।

(34) एक अन्य तर्क, जिसे पदोन्नत न्यायाधीशों की योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर उठाया गया है और सेवा में लगाया गया है, वह यह है कि उनकी वरिष्ठता को चुनौती नहीं दी गई है। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि जो व्यक्ति संवर्ग में भी नहीं थे और नियम जो इन न्यायाधीशों की पदोन्नति और नियुक्ति के बाद लागू हुए हैं और वह भी उनके निर्दिष्ट कोटे के भीतर उनकी वरिष्ठता को बाद के नियमों के आधार पर बाधित नहीं किया जा सकता है जो 10.01.2007 से लागू हुए हैं। नियम, जो संभावित रूप से लागू हैं, उन पदोन्नत अधिकारियों के खिलाफ सेवा में नहीं लगाए जा सकते हैं जिन्हें 10.01.2007 से पहले नियुक्त किया गया है। इस प्रकार रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

(35) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और उनकी सहायता से मामले के अभिलेखों को देखा है।

(36) तथ्य, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दायर उत्तर में ऊपर वर्णित किया गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा विवादित नहीं हैं और इसलिए, यहां विस्तार से संदर्भित नहीं किया जा रहा है।फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों की ओर से पेश हुए वकील ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आलोक में, रिट याचिकाओं में प्रार्थना को छोड़ दिया है, जहां फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों (तदर्थ) फास्ट ट्रैक न्यायालय के रूप में तदर्थ सेवा सहित अपनी पूरी सेवा की गणना करके अपनी वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण का दावा किया है।

उनकी प्रार्थना को छोड़ने के साथ, सीमित प्रश्न, जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है, उनकी वरिष्ठता है अर्थात प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों के साथ-साथ पदोन्नति (त्वरित) न्यायाधीश भी।

(37) वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, भर्ती की विधि को देखना होगा, जो 2007 के नियमों के भाग-III में प्रदान की गई है। इसके नियम 5 में प्रावधान है कि सेवा में भर्ती राज्यपाल द्वारा (i) उच्च न्यायालय के परामर्श से हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के बीच से पदोन्नति और (ii) उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर उच्च न्यायालय की सिफारिश पर योग्य अधिवक्ताओं के बीच से सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएगी। 2007 के नियमों के नियम 6 में सेवा में भर्ती के लिए तरीका, स्रोत और कोटा के साथ-साथ संबंधित स्रोतों से वरिष्ठता तय करने के लिए वर्गीकरण भी प्रदान किया गया है जो इस प्रकार हैः-

“6 (1) सेवा में भर्ती की जाएगीः-

क. 50% योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग)/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) में से पदोन्नति द्वारा प्रतिशत।

ख. 25 सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग)/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में कम से कम पांच साल की योग्यता सेवा रखने वाले सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) की सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा से योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति द्वारा प्रतिशत और जिनकी आयु सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर पैंतीस वर्ष से कम नहीं है; और

ग. 25 पदों का प्रतिशत उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर योग्य अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(2) पहला और दूसरा पद श्रेणी (क) योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, तीसरा पद श्रेणी (सी), (बार से सीधी भर्ती) में जाएगा और चौथा पद नियम की श्रेणी (बी) (सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा) नियम 6 द्वारा भरा जाएगा।

(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

(38) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर भर्ती योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करके 50 प्रतिशत, अपेक्षित सेवा अवधि और आयु वाले न्यायिक अधिकारियों के बीच सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत और शेष 25 प्रतिशत पदों को आवश्यकता के अनुसार योग्य अधिवक्ताओं में से सीधे भर्ती द्वारा भरा जाना था। पहला और दूसरा पद योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की श्रेणी से भरा जाना था। तीसरा पद बार से सीधी भर्ती के लिए जाएगा और चौथा पद श्रेणी प्रमोटी (त्वरित) न्यायाधीश यानी सीमित प्रतियोगी परीक्षा आदि के लिए जाएगा।

2007 के नियमों का नियम 10 वरिष्ठता से संबंधित है और इसलिए वर्तमान मामले में सबसे अधिक प्रासंगिक और निर्धारिक कारक होगा, जो इस प्रकार हैः-

"10. वरिष्ठताः

10. (i) (क) नियम 6 (क) के तहत उसी बैच में पदोन्नत हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्यों की अंतर-वरिष्ठता हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के समान होगी।

(ख) नियम 6 (ख) के तहत पदोन्नत हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की अंतर-वरिष्ठता चयन प्रक्रिया में निर्धारित योग्यता के आदेश में होगी। (ग) नियम 6 (ग) के तहत सेवा में सीधी भर्ती की अंतर-वरिष्ठता भर्ती के समय उच्च न्यायालय की चयन समिति द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर होगी।

(घ) नियम 6 के तहत सेवा में नियुक्त अधिकारियों की अंतर-वरिष्ठता की स्थिति रोस्टर में दी गई होगी। (ii) नियम 6 के खंड (क), (ख) और (ग) के तहत सेवा में भर्ती किया गया व्यक्ति वरिष्ठता सूची में अपना स्थान लेगा जैसा कि रोस्टर में दिखाया गया है, चाहे वह वास्तव में सेवा में शामिल होने की तारीख कुछ भी हो।

(iii) एक पदोन्नत अधिकारी, जिसे नियम 6 के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट श्रेणियों तदर्थ अधिकारी के लिए निर्धारित वर्गीकरण बिंदु के खिलाफ रिक्ति/पद में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है, उसे पद का कोई अधिकार नहीं होगा। वह वरिष्ठता के उद्देश्य से अपनी तदर्थ सेवा तदर्थ अवधि को नियमित सेवा में जोड़ने का हकदार नहीं होगाः

बशर्ते कि मौजूदा नियम सेवा के मौजूदा सदस्यों की वरिष्ठता के मामलों को नियंत्रित करते रहेंगे।"

(39) एकमात्र पहलू, जिस पर यहाँ प्रकाश डालने की आवश्यकता है, वह यह है कि नियम 6 के तहत सेवा में नियुक्त अधिकारियों की अंतर-वरिष्ठता की स्थिति संलग्न वेर्गीकरण में दी गई होगी और यह भी कि नियम 6 के खंड (क), (ख) और (ग) के तहत सेवा में भर्ती किया गया व्यक्ति वरिष्ठता सूची में अपना स्थान लेगा जैसा कि संलग्न वेर्गीकरण में दिखाया गया है, चाहे वह वास्तव में सेवा में शामिल होने की तारीख कुछ भी हो।

(40) एक अन्य पहलू, जैसा कि खंड 10 (i) (घ) (iii) में प्रावधान किया गया है, नियम 6 के खंड (ख और (ग) में निर्दिष्ट तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारियों के संबंध में है। उक्त अधिकारियों को पद का कोई अधिकार नहीं होगा और वे वरिष्ठता के उद्देश्य से नियमित सेवा में अस्थाई सेवा की अवधि जोड़ने के हकदार नहीं होंगे।

(41) इन तीनों पहलुओं को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संबंधित स्रोत से पदोन्नति/नियुक्ति पर अधिकारियों की अंतर-वरिष्ठता को संलग्न सूची के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा और उनकी नियुक्ति और सेवा में वास्तविक रूप से शामिल होने की तारीखों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह, नियम 6 के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट श्रेणियों तदर्थ अधिकारी के लिए निर्धारित वेर्गीकरण बिंदु के खिलाफ रिक्ति/पद में तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारी को पद का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही वह वरिष्ठता के उद्देश्य से उक्त सेवा को नियमित सेवा में गिनने का हकदार है। यह वैधानिक आदेश होने के कारण, प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों तदर्थ

पदोन्नति प्राप्त न्यायाधीशों की वरिष्ठता का दावा, भले ही पहले नियुक्त किया गया हो, तदर्थ आधार तदर्थ कायम नहीं रहेगा।

(42) इसी तरह, पदोन्नत (त्वरित) न्यायाधीशों के खिलाफ वरिष्ठता के लिए दावा, यदि कोई हो, भी उनकी नियुक्ति की तारीख या सेवा में वास्तविक रूप से शामिल होने के आधार पर किसी भी काम का नहीं होगा क्योंकि निर्धारक कारक वेर्गीकरण बिंदु होगा। इसी तरह, एक पदोन्नति न्यायाधीश, जिसने एक निर्दिष्ट श्रेणी के लिए निर्धारित वेर्गीकरण बिंदु के खिलाफ एक रिक्ति में तदर्थ आधार पर काम किया था, को दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। वरिष्ठता के उद्देश्य से नियमित सेवा के लिए तदर्थ सेवा की अवधि के लिए अधिकारिक नहीं होगे। इसलिए, प्रवर्तक (त्वरित) न्यायाधीश अर्थात प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीश और इसके विपरीत के दावे को वर्तमान मामले में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि नियम 10 को उच्च न्यायालय द्वारा 22.10.2013 पर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करते समय प्रभावी कर दिया गया है।

(43) जहां तक प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों के ऊपर और उससे ऊपर पूर्व विचार और वरिष्ठता के उनके दावे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्क का संबंध है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वैधानिक नियम नियुक्ति के स्रोत के रूप में 'अवशोषण' का प्रावधान नहीं करते हैं। यह केवल बृज मोहन लाल के मामले-I और II में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर और उसके कारण है कि हरियाणा की उच्च न्यायिक सेवा में विलय के लिए फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के दावे पर पूर्ण न्यायालय द्वारा विचार और स्वीकार किया गया था। उनके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और लाभ रियायत के रूप में है, जो उन्हें दिया गया है और वह भी बृज मोहन लाल के मामले (उपरोक्त) में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग के आधार पर, जहां अनुच्छेद संख्या 207.9 में यह निम्नानुसार कहा गया हैः-

" 207.9 एफ. टी. सी. योजना की अध्यक्षता करने के लिए बार से न्यायाधीशों के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति केवल निम्नलिखित तरीके से संबंधित राज्यों की उच्च न्यायिक सेवाओं के नियमित संवर्ग में नियुक्त होने के हकदार होंगेः

क. एफ. टी. सी. में सीधी भर्ती करने वाले जो नियमितीकरण का विकल्प चुनते हैं, वे अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के नियमित संवर्ग में अवशोषण के लिए अपनी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित एक लिखित परीक्षा देंगे।

ख. इसके बाद, उन्हें एक चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के अधीन किया जाएगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश और उस मे उच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे।

ग. लिखित परीक्षा के लिए 150 अंक और साक्षात्कार के लिए 100 अंक होंगे। योग्यता अंक सामान्य उम्मीदवारों के लिए कुल 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत होंगे। परीक्षा और साक्षात्कार उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए राज्यों द्वारा अधिनियमित प्रासंगिक नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

घ. प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति प्रति वर्ष में एक अंक का हकदार होगा। एफ. टी. सी. में सेवा का वर्ष, जो साक्षात्कार अंकों का हिस्सा होगा।

ड. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह परीक्षा और साक्षात्कार संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाना चाहिए कि इन सभी आवेदकों ने एफटीसी न्यायाधीशाधीशों के रूप में कई वर्षों तक काम किया है और कानून के अनुसार न्यायाधीश देकर देश की सेवा की है। इस प्रकार, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मॉड्यूल को इन मामलों के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए।

च. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले और पूर्व-सूचित समेकित प्रतिशत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को राज्य के नियमित संवर्ग में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

छ. यदि, किसी भी कारण से, नियमित संवर्ग में रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, तो हम राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वे चयनित उम्मीदवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ऐसी अतिरिक्त रिक्तियां सृजित करें जो आवश्यक हों।

ज. सभी वर्तमान और/या पूर्व एफ. टी. सी. न्यायाधीश जिन्हें सीधे बार से नियुक्त किया गया था और जो नियमित नियुक्ति के लिए परीक्षा और साक्षात्कार देने के इच्छुक हैं, उन्हें आयु में छूट दी जाएगी। आवेदक की आयु निर्धारित आयु से अधिक होने के आधार पर कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।"

(44) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वह प्रक्रिया निर्धारित की थी जिसका अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के नियमित संवर्ग में समावेशन के लिए त्वरित अदालत के न्यायाधीशों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए पालन किया जाना आवश्यक था। चयन समिति के सदस्यों को भी निर्दिष्ट किया गया था और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अलग से अंक भी निर्दिष्ट किए गए थे।योग्यता अंक अर्थात सामान्य उम्मीदवारों के लिए कुल 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत प्रदान किए गए थे। फास्ट ट्रैक अदालतों में प्रति वर्ष सेवा का एक अंक भी साक्षात्कार के एक हिस्से के रूप में सेवा की अवधि के आधार पर दिया जाना था। यह संकेत देते हुए अवलोकन भी किए गए कि अभ्यास करते समय उनके मामलों के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आयु में छूट का भी प्रावधान किया गया था। यह स्पष्ट रूप में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए वैधानिक नियमों में दिए गए मानदंडों के कमजोर होने का संकेत देता है। नियमित संवर्ग जहाँ लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और यहाँ तक कि सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी दोनों उम्मीदवारों के लिए कुल योग्यता अंक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अंकों से अधिक हैं। इन सबसे ऊपर, केवल उम्मीदवारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाना था और कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी क्योंकि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों को ही इसे आमेलित करना था। फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को भी अंक दिए गए थे। यह अभ्यास विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में किया जाना था। मामले के इस दृष्टिकोण में, फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश, जिन्हें इस प्रक्रिया का पालन करके शामिल किया गया है, उनकी तुलना नियमित संवर्ग में सीधे भर्ती किए गए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के साथ नहीं की जा सकती है। हम यह कहते हैं कि बृज मोहन लाल-द्वितीय के मामले (उपरोक्त) के इसी फैसले में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय की टिप्पणियों के आलोक में, जहां पैरा संख्या 180 में, फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों की अपनी सेवाओं को नियमित करने और नियमित संवर्ग में अवशोषित करने के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा राज्य के उनके अवशोषण को अस्वीकार किए जाने तक फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को जारी रखने की प्रार्थना पर विचार करते हुए। इसमें यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उन्हें पद का कोई अधिकार नहीं है और आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा उनकी उपयुक्तता पर विचार करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों की प्रारंभिक नियुक्ति उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय सेवा को नियंत्रित करने वाले तत्कालीन प्रचलित और लागू 1963 नियमों के अनुसार नहीं थी, बल्कि हरियाणा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (तदर्थ) भर्ती और सेवा की शर्तें नियम, 2001 के तहत थी, जो उच्च न्यायिक सेवाओं के सेवानिवृत्त सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनाई गई थी, जिसके तहत नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए थी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकता था। यहां यह जोड़ा जा सकता है कि ये न्यायाधीश उच्च न्यायालय की सिफारिश पर साल दर साल आधार पर बने रहे।

(45) उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के लिए।विज्ञापन/अधिसूचना दिनांक 18.05.2007 के अनुसरण में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों (प्रत्यक्ष भर्ती) की नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन किया गया था, आवेदन प्राप्त हुए थे और चयन पूरा किया गया था, हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों ने उक्त पद के खिलाफ अवशोषण के लिए अपना प्रतिनिधित्व दिया था, लेकिन उक्त दावे को कभी स्वीकार नहीं किया गया था। यह के दौरान है। उक्त प्रक्रिया को जारी रखना कि फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों के मामलों को भी अवशोषण के लिए विचार किया गया था, लेकिन नियुक्ति/अवशोषण के लिए उनके मामलों की सिफारिश विज्ञापित 22 पदों के खिलाफ नहीं की गई थी, बल्कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के नव सृजित 20 पदों के खिलाफ की गई थी, जिनमें से 5 पद प्रत्यक्ष भर्तियों के कोटे में आते थे। चूंकि इन पदों के खिलाफ उनके दावों की सिफारिश की गई थी, जिन्हें बाद में बनाया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने उन्हें उन अधिकारियों के नीचे रखने में सही था, जिनके दावों पर 2007 के नियमों के अनुसार भर्ती के मान्यता प्राप्त स्रोतों से उनके वैधानिक अधिकारों के अनुसार पहले से उपलब्ध पदों के खिलाफ विचार किया गया है। फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक रियायत पर आधारित होने के कारण, जो उन्हें सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से प्रदान की गई थी और प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए पद के खिलाफ उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए, उन्हें पूर्ण न्यायालय के दिनांक 05.10.2013 के निर्णय के अनुसार तीन श्रेणियों में सबसे नीचे वरिष्ठता दी गई है।

(46) फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश एक अलग श्रेणी बनाते हैं, जिसके लिए बृज मोहन लाल के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर एक अलग चयन प्रक्रिया की कल्पना की गई थी। उन्हें एक विशेष प्रक्रिया के अनुसरण में नियुक्त किया गया था और वह भी उस पद के

खिलाफ जो बाद में अस्तित्व में आया था। अब संवर्ग का हिस्सा बनने के बाद वे खुद को प्रत्यक्ष भर्तियों के संवर्ग में आने का दावा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उक्त कोटे के पद के खिलाफ नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति वैधानिक स्रोत से परे होने के कारण, उन्हें वैधानिक स्रोत समाप्त होने के बाद ही लाभ दिया जा सकता है, जो उन्हें इस प्रकार दिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से दिया गया है।

(47) जहां तक प्रत्यक्ष भर्ती न्यायाधीशों से ऊपर वरिष्ठता के लिए त्वरित पदोन्नति की श्रेणी में आने वाले पदोन्नति न्यायाधीशों के दावे का संबंध है, यह कहना पर्याप्त है कि वे नियम 10 (iii) के आलोक में प्रत्यक्ष भर्ती के अलावा वरिष्ठता के लाभ के हकदार नहीं होंगे, जहां यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अन्य श्रेणियों तदर्थ अधिकारी के लिए निर्धारित वेर्गीकरण बिंदु के खिलाफ तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारी को पद का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही वह वरिष्ठता के उद्देश्य से ऐसी सेवा की अवधि को नियमित सेवा में जोड़ने का हकदार होगा। नियम 10 (ii) उन्हें वरिष्ठता के लाभ से भी वंचित कर देगा जहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मचारी की प्रत्येक श्रेणी, जैसा कि नियम 6 (2) में प्रावधान किया गया है, वरिष्ठता सूची में अपना स्थान लेगी जैसा कि वेर्गीकरण में दिखाया गया है, चाहे वह वास्तव में सेवा में शामिल होने की तारीख कुछ भी हो। नियम 10 (i) (घ) यह उन्हें वरिष्ठता के लाभ के लिए भी वंचित कर देगा, जहां यह उल्लेख किया गया है कि नियम 6 के तहत सेवा में नियुक्त अधिकारियों के अंतर-पद को वेर्गीकरण में दिया जाएगा, जो 2007 के नियमों के नियम 6 (2) के तहत प्रदान किया गया है। इस प्रकार, त्वरित पदोन्नति प्राप्त न्यायाधीशों का दावा, जैसा कि रिट याचिका में प्रस्तुत किया गया है, खारिज कर दिया जाता है।

(48) जहां तक अधिकारियों की अन्य श्रेणी से ऊपर और सीधी भर्ती करने वाले अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों द्वारा वरिष्ठता के दावे का संबंध है, यह कहना पर्याप्त है कि वे भी नियम 6 और 10 के अनुसार इसके लाभ के हकदार नहीं होंगे, जो ऊपर निर्दिष्ट किए गए हैं, विशेष रूप से त्वरित पदोन्नति प्राप्त न्यायाधीशों के संदर्भ में, जहां अन्य श्रेणियों से ऊपर पदोन्नति के लिए उनके दावे को खारिज कर दिया गया है।नियम 6 और 10 (i) (d) और 10 (ii) उन्हें उक्त दावे से वंचित कर देंगे क्योंकि वरिष्ठता 2007 के नियमों के साथ संलग्न सूची के अनुसार तय की जानी है। इसलिए, अन्य श्रेणियों पर वरिष्ठता के लिए सीधे भर्ती किए गए न्यायाधीशों के दावे को खारिज कर दिया जाता है।

(49) याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा एक तर्क प्रस्तुत किया गया था कि वरिष्ठता-सह-योग्यता की श्रेणी में आने वाले पदोन्नति प्राप्त न्यायाधीशों को शेष श्रेणियों से ऊपर वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती है, लेकिन इस याचिका में कोई आधार नहीं है क्योंकि इन सभी पदोन्नति प्राप्त न्यायाधीशों को वर्ष 2006 में या उससे पहले तत्कालीन प्रचलित 1963 के नियमों के अनुसार अपने कोटे में पदोन्नत किया गया था। 2007 के नियम, जो वेर्गीकरण अंकों के लिए प्रदान किए गए थे, डब्ल्यू. ई. एफ. 10.01.2007 लागू हुए। नियम 6 और 10 के साथ व्यवहार करते समय दायरा, दायरा, प्रयोज्यता और संचालन के क्षेत्र को पहले ही ऊपर बढ़ाया जा चुका है। नियम 10 विभिन्न श्रेणियों की वरिष्ठता के साथ-साथ वरिष्ठता सूची में उनकी नियुक्ति से संबंधित है। इस नियम 10 का प्रावधान स्रोत के मौजूदा सदस्यों की वरिष्ठता की रक्षा करता है क्योंकि यह 2007 के

नियमों के लागू होने पर 1963 के नियमों के तहत मौजूद था। 2007 के नियमों का नियम 32 रद्द किया हुआ नियम है जो इस प्रकार हैः-

"32. पंजाब उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1963, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। इस प्रकार के निरसन के बावजूद, इस प्रकार निरस्त नियमों के तहत की गई किसी भी चीज़ या की गई किसी भी कार्रवाई को इन नियमों द्वारा या उनके तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वैध रूप से किया गया या किया गया माना जाएगा जैसे कि ये नियम उस दिन लागू थे जिस दिन ऐसा किया गया था या कार्रवाई की गई थी।"

उपरोक्त नियम यह स्पष्ट करता है कि 1963 के नियमों के तहत की गई कार्रवाई सुरक्षित थी। वस्तुतः पदोन्नति प्राप्त न्यायाधीश (वरिष्ठता-सह-योग्यता) 2007 के नियम लागू होने से पहले सेवा के सदस्य थे और इस प्रकार, उनकी वरिष्ठता संरक्षित थी और सेवा के सदस्यों द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता था जो वर्ष 2008 में इसका हिस्सा बने और वह भी नियमों के विभिन्न श्रेणी यानी 2007 के नियमों के तहत। ये सभी अधिकारी, जो पदोन्नति (वरिष्ठता-सह-योग्यता) वाले न्यायाधीशों को दी गई वरिष्ठता पर सवाल उठा रहे हैं, जब इन पदोन्नति न्यायाधीशों को 1963 के पुराने नियमों के तहत संवर्ग में शामिल किया गया था, तब वे संवर्ग का हिस्सा नहीं थे। 2007 के नियम व्यवहार में आने की संभावना है और इस प्रकार, इन पदोन्नति प्राप्त न्यायाधीशों के खिलाफ सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। किसी भी मामले में, कोटा नियम 2007 के नियमों के साथ लागू हुआ और उससे पहले, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए इस तर्क को खारिज किया जाता है।

(50) उपरोक्त के आलोक में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की वरिष्ठता को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 05.10.2013 पूर्ण न्यायालय की बैठक में अंतिम रूप दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 22.10.2013 अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करने, अनुमोदन करने और जारी करने के लिए कानूनी नियमों के अनुसार है और इसलिए इसे बरकरार रखा गया है।

(51) इन रिट याचिकाओं में चुनौती परिणामी रूप से विफल होनी चाहिए जिससे उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(52) तदनुसार आदेश दिया।

मुख्य रिट याचिकाओं को खारिज किए जाने के मद्देनजर, सभी लंबित आवेदनों को निष्फल कर दिया गया है और उनका निपटान किया जाता है।

डॉ. पायल मेहता

विनय पुरी

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।